छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक : एफ 5–8/18/2013 रायपुर, दिनांक 17 जुलाई 2013

प्रति,

उप संचालक,
शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय,
खैरागढ़ रोड़, राजनांदगांव।

विषय :– **नगरीय निकायों में 21 सूत्रीय मांगों को लेकर क्रमबद्ध आंदोलन के संबंध में अधिसूचना का प्रकाशन बाबत्।**

––000––

उपरोक्त विषय से संबंधित अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी एवं सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त अनुमति पत्र क्रमांक 1239/1361/2013/1/5 दिनांक 17 जुलाई 2013 संलग्न प्रेषित है।

कृपया उक्त अधिसूचना का छत्तीसगढ़ (असाधारण) राजपत्र दिनांक 17.07.2013 में प्रकाशन कर 50 प्रतियॉ विभाग को तत्काल उपलबध कराने की व्यवस्था करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(एम.एम.मिंज)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

पृ. क. एफ 5–8/18/2013 रायपुर, दिनांक 17 जुलाई 2013

प्रतिलिपि :–

1. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संचालनालय, रायपुर,
2. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़,
3. समस्त पुलिस अधीक्षक, छत्तीसगढ़,
4. संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर/बिलासपुर/अम्बिकापुर/जगदलपुर,
5. समस्त आयुक्त, नगर पालिक निगम, छत्तीसगढ़,
6. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत, छत्तीसगढ़,
7. गार्ड फाईल हेतु

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

7

छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

// अधिसूचना //

रायपुर, दिनांक 17/07/2013

क्रमांक : एफ 5–8/18/2013 :: यतः, राज्य सरकार की राय है कि राज्य के नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद् एवं नगर पंचायत के कर्मचारियों के द्वारा 18 जुलाई, 2013 से प्रस्तावित हड़ताल के कारण, छत्तीसगढ़ राज्य में समुदाय की सुरक्षा या स्वास्थ्य पर अथवा जीवन के लिए अपेक्षित अत्यावश्यक सेवाओं के संधारण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ।

अतएव, छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 65 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 99–बी के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषणा करती है कि राज्य में आपात की स्थिति विद्यमान है और यह कि उसके परिणामस्वरूप राज्य के नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद् तथा नगर पंचायत के अत्यावश्यक सेवा प्रदान करने वाला कोई भी सदस्य, तत्काल प्रभाव से, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह की कालावधि तक, तथा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,

(क) विधिवत स्वीकृत अवकाश के अतिरिक्त अन्यथा अपने कर्तव्य से स्वयं को न तो विकर्षित करेगा और न ही अनुपस्थित रहेगा, या

(ख) अपने कर्तव्यों का पालन करने में उपेक्षा नहीं करेगा या उनका पालन करने से इंकार नहीं करेगा या अपने कर्तव्यों का जानबूझकर अदक्षतापूर्ण रीति में पालन नहीं करेगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(एम.एम. मिंज)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
URBAN ADMINISTATION & DEVELOPMENT DEPARTMENT
MAHANADI BHAWAN, RAIPUR MANTRALAY

NOTIFICATION

Raipur, Dated 17 /07/2013

No F- 5-8/18/2013 :: Whereas, the State Government is of the opinion that due to strike proposed by the employees of Municipal Corporations, Municipal Councils and Nagar Panchayats of the State from 18th July, 2013, are likely to adversely affect safety or health or the maintenance of essential services, essential to the life of the community in the State of Chhattisgarh.

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 65 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and Section 99-B of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, hereby, declares that an emergency exists in the State and that in consequence thereof any member providing essential services, of the Municipal Corporations, Municipal Councils and Nagar Panchayats in the State, with immediate effect till the period of one month from the date of publication of this notification and notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, shall not-

(a) withdraw or absent himself from his duties otherwise than on leave duly granted, or

(b) neglect or refuse to perform his duties or willfully perform them in an insufficient manner.

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh,

(M.M.Minj)
Deputy Secretary
Government of Chhattisgarh
Urban Administration &
Development Department